

भाग-IV

(to be filled by PCCF)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन	फ. १२ की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।
भाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	
देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट सुरक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये)	

18
Anupam Gupta
Chief Conservator of Forests/Model Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

11/4/22